

हार गजट असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन 1943 (श0) (सं0 पटना 814) पटना, सोमवार, 27 सितम्बर 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 27 सितम्बर 2021

एस0 ओ0 135, दिनांक 27 सितम्बर 2021— वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 129, दिनांक 06 जून, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 348, दिनांक 06 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या एस० ओ० 115, दिनांक 01 जुलाई, 2021, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 564, दिनांक 01 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, यह अधिसूचित करते हैं कि जहां उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द करने का प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन करने की समयसीमा 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2021 की समयावधि के दौरान आती है, तो ऐसा आवेदन करने की समयसीमा का 30 सितंबर, 2021 तक विस्तार किया जाएगा ।

> [(सं०सं०बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)1976)] बिहार राज्यपाल के आदेश से, Mk**VE** ifrek] राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

27 सितम्बर 2021

एस० ओ० 135, दिनांक २७ सितम्बर २०२१ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—12)1976)] बिहार राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

27th September 2021

S.O. 135, Dated 27th September 2021—In partial modification of the notifications of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 129 dated the 09th June, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 348, dated the 09th June, 2020 and notification No. S.O. 115 dated the 01st July, 2021, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 564, dated the 01st July, 2021, in exercise of the powers conferred by section 168A of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies that where a registration has been cancelled under clause (b) or (c) of sub-section (2) of section 29 of the said Act and the time limit for making an application of revocation of cancellation of registration under sub-section (1) of section 30 of the said Act falls during the period from the 1st day of March, 2020 to 31st day of August, 2021, the time limit for making such application shall be extended upto the 30th day of September, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12) 1976]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 814-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in